

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

संख्या:—प्रशा0 (ले0प0)/गो0शा0/2022-23/C-578

दिनांक:30-03-2023

कार्यालय आदेश

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों/कर्मियों के द्वारा Code of Ethics की कंडिका 3.25 एवं 3.26 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन विषय पर मुख्यालय से प्राप्त परिपत्र संख्या -01/स्टाफ(अनु0III) 15-2022 पत्रांक -46/स्टाफ(अनु0III) 15-2022 दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्राप्त निर्देश इस कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ /परिपालनार्थ परिचालित किया जाता है।

हस्ता0/-
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के सचिवालय
2. उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय
3. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-I) का सचिवालय
4. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-II) का सचिवालय
5. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-III)का सचिवालय
6. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-IV)का सचिवालय
7. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-V) का सचिवालय
8. उप महालेखाकार (केन्द्रीय प्रक्षेत्र) का सचिवालय
9. सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /नियंत्री अनुभाग से अनुरोध है कि वे अपने नियन्त्रणाधीन अनुभागों/क्षेत्रदल में पदस्थापित कर्मियों को अवगत करा दें।
10. आवासीय लेखापरीक्षा कार्यालय, विद्युत भवन, पटना
11. ए0 एम0 एस0 अनुभाग से अनुरोध है कि कार्यालय आदेश को कार्यालय वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
12. सूचना बोर्ड

30/3/2023

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (गोपनीय शाखा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 124



OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 22.03.2023

To.
All the Heads of Department in the IA&AD
(As per mailing list)

Sir/Madam,

As per the provision mentioned in para 3.25 of the Code of Ethics for Indian Audit and Account Department, "Auditors should avoid such relationships with managers and staff in the audited entity and other parties which may influence, compromise or threaten the ability of auditors to act and be seen to be acting independently."

2. Further, as per the provision mentioned in para 3.26 of the Code of Ethics for Indian Audit and Account Department, "Auditors should not use their official position for private purposes and should avoid relationships which involve the risk of corruption or which may raise doubts about their objectivity and independence."

3. Instances of non-observance of the above provisions have come to the notice of this office.

4. In view of the above, the Competent Authority has directed that the above provisions are again brought to the notice of the employees of your office and strict adherence of such provisions is insisted upon.

Yours faithfully,

(Mrinal Chawla)
Asstt. Comptroller and Auditor General (N)-II